निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

करण संख्या : 143 / 2017

तारीख दायरा 14.03.2017

उनवान

मला बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि स्व. बाबूलाल जाति धाकड निवासी सांगोद तहसील गोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादिनी

बनाम

प्रेमशंकर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।

द्वारकालाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।

राजस्थानराज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद। — प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 34, 53, 188 आर. टी. एक्ट</u>

स्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

——निर्णय——

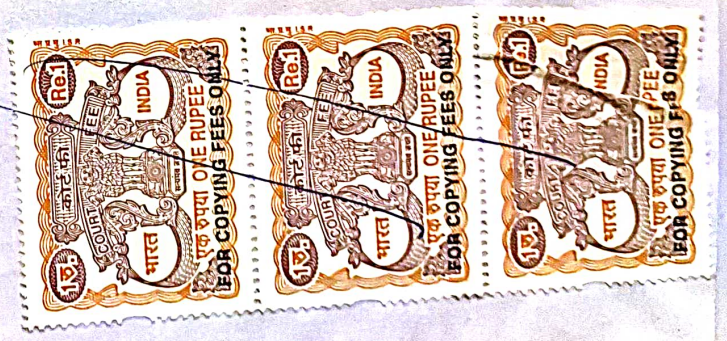

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम हींगी पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद के माल में की खाता सं. 157 के ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. कुल 3 किता की कुल 1.52 है. आराजी स्थित है जिसमें राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मुताबिक वादिनी का 1/6 हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजी में निहित है। उक्त वर्णित आराजी के संबंध में पूर्व में आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन हुआ था जिसमें वादग्रस्त आराजी में से वादिनी का 1/6 हिस्सा कब्जे व हिस्से में आया था, जिसको वादिनी मुताबिक पारिवारिक विभाजन जो मौके पर आपसी सहमति से मौखिक रूप से हुआ था, उस पर काबिज काश्त है तथा उक्त हिस्से का उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। वादिनी के हिस्से पर प्रतिवादीगण को मदाखलत–मजामहत करने, वादिनी को काबिज काश्त करने में अडचन पैदा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण लडाई–झगडा करने वाले आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, वादिनी के भाई हैं, परन्तु वादिनी से उक्त जमीन बाबत रंजिश रखते हैं और वादिनी को आराजी काबिज काश्त करने में अडचन पैदा करते हैं। वादिनी गरीब विधवा और लाचार महिला होने से उनका मुकाबला करने में असमर्थ होने से प्रतिवादीगण वादिनी को स्वयं के हिस्से से महरूम करना चाहते हैं। इसके लिए प्रतिवादीगण वादिनी के साथ लडाई–झगडा कर दबाव बनाकर चाहते हैं कि वादिनी भी अन्य बहनों की तरह विवादित आराजी में निहित हिस्से को प्रतिवादीगण के नाम रिलीज कर दे। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण वादिनी को अत्यधिक परेशान करने लगे हैं। वादिनी गरीब महिला होने से उसके लिये उक्त वर्णित आराजी में निहित स्वयं के हिस्से को बचाने के लिए व स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वाद पेश करके स्वयं के हिस्से को विभाजित करवाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाये।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के हक में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि –

वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम हींगी पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद के माल की खाता सं. 157 के ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. कुल 3 किता कुल 1.52 है. आराजी में निहित वादिनी के 1/6 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर राज लगान पृथक से वादिनी के नाम दर्ज

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (बारां)

किया जावे तथा वादिनी के हिस्से की पैमाईश पटवारी हलका द्वारा करवाई जाकर कब्जा वादिनी को संभलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिनी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत–मजामहत नहीं करें, ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी नौकर अथवा ऐजेन्टों से करावें। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादिनी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर ले तो वादिनी को पुलिस सहायता प्रदान की जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 3 प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तलबी हो चुकी है, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतीत होता है कि उन्हें वाद में वर्णित तथ्यों से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, नकल पाबंदी, राजस्व रेकार्ड, बहस वकील वादी आदि के आधार पर वादिनी का वाद स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 05.10.2020 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार सांगोद को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात दिनांक 05.10.2021 को तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादिनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम हींगी पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद के माल खाता सं. 157 के ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. कुल 3 किता की कुल 1.52 है. आराजी स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादिनी को ख.न. 432 की 0.92 है. में से 0.25 है. (पूर्वी हिस्सा) आराजी का खातेदार का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. में से 67 है. (पश्चिमी हिस्सा) इस प्रकार कुल 3 किता की 1.27 है. आराजी का खातेदार का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादिनी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक से दर्ज कर राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

थम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

र्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

करण संख्या : 143/2017 तारीख दायरा 14.03.2017

उनवान

मला बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि रसं. बाबूलाल जाति धाकड निवासी सांगोद तहसील गोद जिला कोटा राजस्थान। – वादिनी

बनाम

प्रेमशंकर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
द्वारकालाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
राजस्थानराज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 34, 53, 188 आर. टी. एक्ट

पस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल नागर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम हींगी पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद के माल की खाता सं. 157 के ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. कुल 3 किता की कुल 1.52 है. आराजी स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादिनी को ख.न. 432 की 0.92 है. में से 0.25 है. (पूर्वी हिस्सा) आराजी का खातेदार का खातेदार

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. में से 67 है. (पश्चिमी हिस्सा) इस प्रकार कुल 3 किता की 1.27 है. आराजी का खातेदार का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादिनी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक से दर्ज कर राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

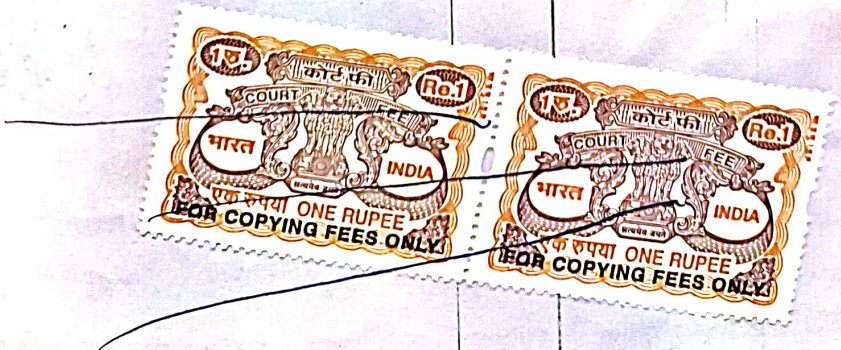

दस्तो-
9/5/22

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

....

क्रमांक-- 390

दिनांक-9/5/22

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः- इजराय संख्या 53/2022 उनवान बिमलाबाई बनाम प्रेमशंकर मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 143/17 उनवान बिमलाबाई बनाम प्रेमशंकर के न्यायालय में दिनांक 12.3.22 को निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.6.22 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न-
निर्णय-डिक्री की छाया प्रति

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

// 53/2022

<u>कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा</u>

क्रमांक / LR / 2023 / 853

दिनांक– 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय, प्र0 सं0 143/2017 उनवान बिमला बाई / प्रेमशंकर में जारी डिक्री दिनांक 14/3/2017 की पालना में ग्राम ढीण्डा में नामान्तरकरण सं. 1210 दिनांक 27/05/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

का नाम :- हींगी
र हल्का :- हींगी
भि.नि. :- किशनपुरा
हील :- साँगोद
ला :- कोटा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 164
खाता संख्या पुराना :- 157

धारकार का नाम:-
1. द्वारकीलाल पुत्र भैरूलाल हिस्सा- 2/5 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार
2. प्रेमशंकर पुत्र भैरूलाल हिस्सा- 3/5 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार
राहिन हिस्सा-3/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांगोद,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1411/432	0.6700	चाही तृतीय	0.6700	14.74	स्वीकृत नामांतरकरण : 1210 27/05/2022 न्याया. आदेश	
430	0.5900	चाही तृतीय	0.5900	12.98		
431	0.0100	गै.मु. चाह	0.0100			
कुल खसरे - 3	1.2700		1.2700	27.7200		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

NIC